Action Group called Rural Advancement Foundation International, several micro-organisms of Indian origin had been patonted in USA and microbial cultures had been maintained at the American Type Culture Collection, Maryland USA. The Indian Patent Act does not provide for patenting of micro-organisms. Information on the number of micro-organisms patented by US Firms is not maintained by the Govt. of India.

Malpractices in Nuclear Science Centre

3266. SHRI BRAHMADEO ANAND PASWAN: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether Government have received any complaints regarding malpractices in the construction etc. in the Nuclear Science Centre, New Delhi;

(b) if so, what action has been taken by Government; and

(c) if not, by when Government propose to take action?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILIZERS, PARLIAMENTARY AFFAIRS AND IN THE DEPARTMENT OF ELECTRONICS AND OCEN DEVELOPMENT (SHRI EDUARDO FALEIRO): (a) to (c) The Information is being collected and will be laid on the Table of the House.

अनुसंधान का इष्टतम उपयोग

3267. **श्री राम जेठमलानी :**

डा० जिनेन्द्र कुमार जैन :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 20 दिसम्बर, 1993 के इंडियन एक्सप्रेस में "ए बाउंट ऑफ वेस्टेड रिसर्च" शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार की ओर गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि देश के विभिन्न अनुसंधान संस्थाओं में अनुसंधानकर्ताओं द्वारा किये गये अनुसंधान को व्यावहारिक रूप देकर उसका लाभ समाज को देने के लिये कोई उपलब्ध नहीं है ;

(ग) यदि नहीं, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ;

(घ) क्या सरकार ऐसी योजना क्रियान्वित करने पर गंभीरता से विचार कर रही है जिसके अधीन सभी प्रकार के सफल शोध कार्यों का लाभ समाज तक पहुंचाने के लिये देश में एक स्थायी व्यवस्था हो सके ; और

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

रसायन और उर्वरक, संसदीय कार्य मंत्रालय, इलैक्ट्रानिकी तथा महासागर विकास विभागों में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फेलेरियो) : (क) जी, हां ।

(ख) से (ङ) सरकार ने समाचार में उल्लिखित परिस्थिति की और पर्यावरण के क्षेत्रों से संबंधित अनेक कार्यक्रम शुरू किये हैं। इनका उद्देश्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी निवेशों द्वारा सामाजिक आर्थिक विकास के लिये समाज को लाभ पहुंचाना है । इनमें से कुछ कार्यक्रमों को अन्तरिक्ष विभाग के राष्ट्रीय प्राकृतिक संसाधन प्रबंध कार्यक्रम, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के प्राकृतिक संसाधन आंकड़ा प्रबंध प्रणाली एवं विज्ञान और समाज कार्यक्रम और पर्यावरण मंत्रालय के परती भूमि विकास कार्यक्रम के अधीन सहायता दी गई है ।

छोटे और बड़े उद्योगों द्वारा अनुसंधान और विकास पर खर्च की गई राशि

3268. **डा० जिनेन्द्र कुमार जैन :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा किए गये सर्वेक्षण के अनुसार देश में बड़े उद्योगों

की तुलना में छोटे उद्योगों द्वारा शोध एवं विकास कार्यों पर अपनी कुल बिक्री की अधिक प्रतिशत राशि खर्च की जाती है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में तथ्य क्या है;

(ग) क्या यह भी सच है कि देश में विदेशी फर्मों के साथ सहयोग समझौते होने से शोध एवं विकास कार्यों की गति और भी धीमी हो रही है;

(घ) यदि नहीं, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ;

(ङ) क्या यह भी सच है कि नई औद्योगिक नीति व गैट प्रस्तावों को स्वीकार करने के बाद देश में तकनीकी शोध व विकास की गति में तेजी लाना अनिवार्य हो गया है ;

(च) यदि हां, तो देश में शोध एवं विकास कार्यों को प्रोत्साहित करने के लिये सरकार द्वारा कौन सी योजना तैयार की गई है ; और

(छ) क्या सरकार देश में बड़े उद्योगों के लिये एक निश्चित राशि निर्धारित करेगी, जिससे कि वे इस राशि को अनिवार्य रूप से अनुसंधान तथा विकास कार्यों पर खर्च करे?

रसायन और उर्वरक, संसदीय कार्य मंत्रालय महासागर विकास तथा इलेक्ट्रानिकी विभागों में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फेलेरियो) : (क) और (ख) डीएसआइआर से मान्यता प्राप्त घरेलू अनुसंधान और विकास केन्द्रों वाले लगभग 300 लघु औद्योगिक यूनिटों में बिक्री से हुई कुल आय का अनुसंधान और विकास पर हुए व्यय की प्रतिशतता लगभग 0.26 प्रतिशत है ; 900 से अधिक मध्यम और बड़े पैमाने के यूनिटों की तदनुसार राशि 0.69 प्रतिशत है ।

(ग) और (घ) जी, नहीं ।

(ङ) और (च) देश में अनुसंधान और विकास कार्यों की गति में तेजी आ रही है जैसा कि अनुसंधान और विकास के लिये आवंटित सरकारी निधियों में की गई बढ़ोत्तरी और उद्योग द्वारा अनुसंधान और विकास कार्यों पर किये जाने वाले व्यय में हुई बढ़ोत्तरी से स्पष्ट है । बदले हुये परिदृश्य में, व्यापक प्रतियोगी प्रौद्योगिकियों का स्वदेशी विकास अधिक प्रासंगिक हो गया है जिसके लिये स्वदेशी अनुसंधान एवं विकास के प्रयासों को तेज किये जाने की आवश्यकता है । इस दिशा में, उद्योग द्वारा अनुसंधान और विकास को प्रोत्साहित करने के लिये सरकार ने अनेक उपाय किये हैं । वर्तमानतः मान्यता प्राप्त घरेलू अनुसंधान और विकास यूनिटों को दिये जाने वाले प्रोत्साहन और समर्थन हैं: कम्पनी के लाभों में से अनुसंधान और विकास पर हुये व्यय की 100 प्रतिशत कटौती द्वारा आय कर में छूट; स्वदेशी प्रौद्योगिकी पर आधारित सामान के विनिर्माण के लिये संयंत्र और मशीनरी लगाये जाने के लिये दिये जाने वाले मूल्यह्रास भत्ते को सामान्य 25 प्रतिशत के बजाय 40 प्रतिशत की उच्चतर दर पर बढ़ाया जाना ; स्वदेशी प्रौद्योगिकी पर आधारित उत्पादित अधिकांश औषधियों को मूल्य नियंत्रण से छूट; उद्यम/सांस्थानिक स्तर पर अन्तर्राष्ट्रीय अनुसंधान एवं विकास सहयोग; असाधारण घरेलू अनुसंधान एवं विकास उपलब्धियों के लिये राष्ट्रीय पुरस्कार; और अनुमोदित राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं में प्रायोजित अनुसंधान के लिये 125 प्रतिशत कर में छूट; इस प्रावधान के अन्तर्गत 1994-95 के बजट प्रस्ताव में समाहित, सभी विश्वविद्यालयों, समविश्वविद्यालयों, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों और रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (डीआरडीओ) के तत्वाधान में कार्यरत वैज्ञानिक प्रयोगशालाओं, इलैक्ट्रानिकी विभाग, जीवविज्ञान विभाग और परमाणु ऊर्जा विभाग को लिये जाने का प्रस्ताव है ।

(छ) जी, नहीं ।